<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 138/2022

बउनवान

राधेश्याम पुत्र पन्न जाति किराड निवासी रूपारेल तहसील छबड़ा

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1. श्री भंवर सिंह जादौन अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 20.05.2022</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1703/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम रूपारेल की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 224 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 175/– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2020 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:58 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2075 में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1166/19 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2019 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में भी इसी आराजी पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा अधिक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा में उपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 1703/2020 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 03.06.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **20.05.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:58 IST
Reason: SelfAttested